तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी अपील/एल.आर./6066/2005/करौली नर्वदा बनाम अतरसिंह	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित–

श्री जे.के. पंत, अधिवक्तागण, प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 29–08–2025

प्रार्थीगण ने यह नजरसानी प्रार्थनापत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 86 के अन्तर्गत मण्डल की एकलपीठ द्वारा प्रकरण संख्या 33/1999 बनवानी नर्वदा बनाम अतरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 28–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस नजरसानी प्रार्थनापत्र पर सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण नजरसानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता/पति को विवादग्रस्त आराजी का आवंटन उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन के आदेश दिनांक 14–03–1991 से हुआ। इस आवंटन के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16–07–1999 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 14–03–1991 को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि आराजी जैर के संबंध में जमाबंदी संवत् 2047 को देखते हुए श्री रामखिलाडी को काश्तकार बनाते हुए तथा आवंटी के द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना पर विचार करते हुए पक्षकारान को सुनकर पुनः आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न करे। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की जिसे मण्डल हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–11–2005 से प्रार्थीगण की अपील निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की जो रिकार्ड पर देखते ही प्रकट होने वाली त्रुटि की श्रेणी में आती है। अतः नजरसानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मण्डल हाजा का आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में नजरसानी मीमों द्वारा जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उन सभी तथ्यों एवं आक्षेपों बाबत् मण्डल हाजा की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–11–2005 में विस्तृत रूप से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी अपील/एल.आर./6066/2005/करौली नर्वदा बनाम अतरसिंह	नम्बर व तारीख

विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया जा चुका है। नजरसानी में केवल निर्णय में कोई प्रथम दृष्टया देखते ही भूल प्रकट हो तो ही स्वीकार किये जाने योग्य है। नजरसानीकर्ता द्वारा रिव्यू में उठाये गये आधार पहले ही निगरानी याचिका में तय किये जा चुके है तो वह बिन्दू अभिलेख के मुख पर त्रुटि की श्रेणी में नहीं है। इस संबंध में विधिक स्थिति भी यही है कि पुर्नविलोकन में उठाये गये आधार पहले निगरानी में ही तय किये जा चुके है तो वह अभिलेख के मुख पर त्रुटि नहीं है और कोई नया बिन्दू नहीं उठाया तो पुर्नविलोकन का कोई आधार नहीं है। भूल से निर्णय पारित हुआ हो तो उसका पुर्नविलोकन किया जा सकता है परन्तु त्रुटिपूर्ण निर्णय का नहीं। वैसे भी रिव्यू का क्षेत्राधिकार सीमित होता है रिव्यू में मामले के गुणावगुण पर सुनवाई नहीं हो सकती और ना ही अपील में उठाये जाने वाले बिन्दू रिव्यू के माध्यम से पुनः उठायें जा सकते। रिव्यू अपील का माध्यम नहीं हो सकता। यदि निर्णय से कोई व्यक्ति / पक्षकार पीडित है तो सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में मण्डल हाजा की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की एक प्रति मूल अपील पत्रावली में संलग्न की जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियामानुसार भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य